[illegible] इजलास लोक अदालत/कोर्ट कैम्प श्री गोविन्दसिंह (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ कोर्ट केम्प–ताल

[illegible] 23/16 प्रा0पत्र निर्णय दिनांक :– 23.06.2016

अनवान

[illegible]कबर मोहम्मद पिता चान्द मोहम्मद मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ

———प्रार्थी

बनाम

[illegible]थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

———विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

. पत्रावली आज दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत कोर्ट कैम्प ताल में पेश [illegible] को जारी सूचना पत्र तामिल हो शामिल पत्रावली है। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का [illegible] किया विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है।

[illegible] ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ का निवासी है। प्रार्थी की कृषि आराजियात [illegible] हल्का ताल में स्थित है। जिसके खाता नं0 14/7 ख0नं0 413 रकबा 0.05 विस्वा, [illegible] 415 रकबा 1.15 बीघा आराजी नं0 416 रकबा 1.10 बीघा, आराजी नं0 417 रकबा 1. [illegible] 4 रकबा 4.15 बीघा है। प्रार्थी के खाते मे नाम इकबाल मोहम्मद पिता चान्द मोहम्मद [illegible] अन्य रेकार्ड दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की सूची में [illegible]। प्रार्थी वास्तव में अकबर मोहम्मद नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी के [illegible] में प्रार्थी का नाम अकबर मोहम्मद दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इकबाल [illegible] के बजाय प्रार्थी अकबर मोहम्मद पिता चान्द मोहम्मद शब्द दुरूस्ती चाहता है। [illegible] लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के खाते में इकबाल मोहम्मद पिता चान्द [illegible] अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम अकबर मोहम्मद पिता चान्द मोहम्मद दर्ज [illegible] में इकबाल मोहम्मद हटाया जाकर अकबर मोहम्मद दर्ज कराने के [illegible]

[illegible]
देवगढ, जिला-राजसमन्द

[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नए नकल प्रार्थना पत्र के [illegible] जारी [illegible] विपक्षी ने इसका कोई प्रत्युत्तर पेश नही किया। तत्पश्चात प्रकरण न्याय आपके द्वार लोक [illegible] दिनांक [illegible] से निपटा किया गया। तथा पक्षकारान को पुनः सूचना पत्र जारी किये गये। प्रार्थी [illegible] उपस्थित हुआ। जिसने ने अपने सही नाम की पुष्टि में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, [illegible] विपक्षीक [illegible] की फोटो प्रतियां पेश की प्रार्थी ने श्री मुबारिक हुसेन पिता सुल्तान मोहम्मद [illegible] उपखण्ड [illegible] ने भी प्रमाण पत्र जारी कर इकबाल मोहम्मद एवं अकबर मोहम्मद दोनो [illegible] किया तथा राजस्व रेकार्ड में इकबाल मोहम्मद के बजाय अकबर मोहम्मद [illegible] निर्धारण किया। विपक्षी ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नही किया। अतः विपक्षी का [illegible] है।

[illegible] प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बयान, गवाह एवं ग्राम [illegible] प्रमाण पत्र आदि का अवलोकन किया तथा उन पर मनन किया। उपर्युक्त दस्तावेजो में [illegible] मोहम्मद अंकित है लेकिन ग्राम ताल की जमाबन्दी सं0 2070–2073 में प्रार्थी का नाम [illegible] है। प्रार्थी उसका सही नाम उक्त जमाबन्दी में इकबाल मोहम्मद की बजाय अकबर [illegible] है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का सही नाम अकबर [illegible]

[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ताल पटवार हल्का ताल [illegible] किया प्रार्थी की भूमि खाता नं0 14/7, चाह ख0नं0 413 रकबा 0.05 विस्वा, आराजी [illegible] 416 रकबा 1.10 बीघा, ख0नं0 417 रकबा 1.05 बीघा कुल किता 4 [illegible] इकबाल मोहम्मद को हटाया जाकर अकबर मोहम्मद पिता चान्द [illegible] दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को निर्णय की प्रति भेजी [illegible]

[illegible] दिनांक 23.06.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान लोक अदालत कोर्ट [illegible] पश्चात [illegible] फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़